राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1827/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोवर्धन सिंह ग्राम पोस्ट तोगडाकलां] वाया डूमरा], झुंझुनूं,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं लो0सू0अ0 राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 12-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री एस.एल. मलिक, राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 6-7-17 के द्वारा अपील संख्या 6722, 6723, 6724, 6791/2014 एवं 2637/2016 के निर्णयों सहित सम्पूर्ण पत्रावलियों की प्रतियां तथा परिवाद संख्या 146, 147, 148, 149 /2017 के निर्णयों की प्रतियां चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 22-9-17 के द्वारा वांछित सूचना नियमानुसार एवं निशुल्क उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये थे। ऐसी सूचना जो कि उपरोक्त पत्रावलियों पर स्वयं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है को छोड़कर अन्य दस्तावेजों की प्रतियां अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गई थी।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 5-4-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के आवेदन से वह सूचना चाही गई है जो कि उनके स्वयं के द्वारा धारित है तथा स्वयं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार की सूचना जो कि अपीलार्थी स्वयं के नियंत्रणाधीन है की अपेक्षा राज्य लोक सूचना अधिकारी से नहीं की जा सकती। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की सूचना, सूचना का अधिकार की परिभाषा में नहीं आती है। अतः अपीलार्थी ऐसी सूचना पाने का अधिकारी नहीं है। ऐसे परिपत्र या अभिलेख जो उनके स्वयं के द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है के सम्बन्ध में सूचना का प्रेषण कर दिया गया है।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(जे) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना/विनिश्चय विधिसंगत है एवं प्रथम अपील संख्या 109/17 में पारित निर्णय दिनांक 22-9-17 विधिसंगत नहीं है, अतः प्रथम अपीलीय निर्णय को अपास्त किया जाता है।

8. अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त